

20/04/2023

पत्रावली पेटा दुर्ग। तहसील शर्मा ग्राम। उदियाली सं. 1 लगायत 6 बावजूत तामील के धणिर नहीं। अतः इनके सिक्क एउपसीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार से मौरा विपरीत अफर। तहसीलदार की विपरीत शामिल पत्रावली की जाते। तहसील दादी ने बहस कर निर्दिष्ट किया कि ग्राम दुदिया की सरदा में स्थित शर्माग्राम की खातेदारी भूमि खसरा नं. 396, 397, 398 तथा 400 में स्थित रास्ते के लिए अशर्माग्राम की खातेदारी भूमि खसरा नं. 401 में से प्राप्ति पर के संलग्न नकसी नकसी में दर्शित निशानात असे किन्तु तहसीलदार चौरा रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु शर्मा संख्या 6 को आदेशित फरमाया जाता शर्माग्राम है। तहसीलदार पत्रांक नं. 2023/362 दिनांक 8/2/23 को अवलोकन किया गया, जिसमें मौरा की फर्द अउत्तर अफर दुदिया के खसरा नं. 396, 397, 398 व 400 में आबागमन हेतु खसरा नं. 401 में से चार्ज कर सकते के अलावा न्यूनतम बूटी पर इस रास्ते के अलावा अन्ध छोटी रास्ता नहीं है। खसरा नं. 401 में रास्ते की लम्बाई 52 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है अर्थात् कुल 208 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है। खसरा नं. 400 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे मौरा पर रास्ता चालू है पत्रावली का मन्त्र किया गया। पत्रावली में शर्मा का शर्मा पर धारा 251(क) सधस्वान कारवाही अधिनियम के तहत सम्मती प्राप्त होने के कारण शर्मा किया जाता है तथा तहसीलदार अराजोदली की विपरीत अफर अफर दुदिया के खसरा नं. 396, 397, 398 व 400 में आबागमन हेतु खसरा नं. 401 में से संलग्न नकसी नकसीनुसार रास्ता अफर किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। रास्ते में आने वाली भूमि का तहसीलदार नापजोडकर प्रो. एल. सी. की दुदुनी शर्मा शर्मा से बखूला कर अशर्माग्राम संख्या 1 लगायत 4 के मध्य इनके स्वामित्व के अउत्तर में बंधारा करे। तदनुसार

15/04/2023




Handwritten signature

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के
क्रमांक व दिनांक

राजस्व रिपोर्टों में अग्रह परामर्श करें। पत्रावली
फॉर्मल सुमार वेब 1 नंबर से कम हो व गणित
द्वारा ही। निर्णय आज दिनांक 20/04/2023
को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी | 23
उदयपुरवादी (सुन्दरी)